डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.nic.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 60 ● अंक 13 ● भोपाल ● 1-15 दिसम्बर, 2016 ● पृष्ठ 24 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

सहकारिता को आत्मसात कर उन्नयन तथा उत्थान के लिये समर्पित भाव से काम करें

राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग द्वारा सहकारी सप्ताह का समापन

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिये जरूरी है कि सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे लोग इसे आत्मसात करे और इसके उन्नयन तथा उत्थान के लिये समर्पित होकर काम करें। श्री सारंग 63वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के समापन पर राज्य-स्तरीय संगोष्ठी **सहकारिता के माध्यम से सुशासन मूल्यों एवं नेतृत्व का विकास** को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी का आयोजन राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) ने किया।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि विषय में जिन शब्दों का उल्लेख किया गया है वे सभी जन्म से ही व्यक्ति के अंदर होते हैं। चाहे सहकारिता हो, सुशासन हो, मूल्य हो या नेतृत्व। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि हम इन्हें पहचाने और अपनी रोजाना की गतिविधियों में शामिल करें, तो हम सारी व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सोच में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सहकारिता को सुदृढ़ बनाने के लिये पिछले 11 साल में ठोस कदम उठाये गये हैं। बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिये पालक अधिकारी नियुक्त कर नवाचार किया गया है, जिसके बेहतर परिणाम मिले हैं। सहकारी मंथन द्वारा सहकारिता को नई दिशा देने के लिये 272 बिन्दु पर अमल किया जा रहा है। श्री सारंग ने कहा कि सहकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का यह दायित्व है कि वे ईमानदारी के साथ इसे सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दें।

वरिष्ठजन कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री वी.जी. धर्माधिकारी ने कहा कि सहकारी सप्ताह महज औपचारिकता बनकर न रहे। हमारे अंदर सहकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए सेवा की भावना के साथ-साथ संवेदनशीलता होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सहकारिता की अधोसंरचना को क्षति न पहुँचे। इस दिशा में भी हमें सजग रहना है। सहकारी प्रबंध संस्थान के निदेशक श्री ए.के. अस्थाना ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र की चुनौतियों को समझकर उस पर सोच-विचार कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सेवानिवृत्त अपर आयुक्त सहकारिता श्री पी.डी. मिश्रा ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग प्रशासन में स्पष्टता के साथ पारदर्शी हों और उत्तरदायी बनें। सहकारिता विशेषज्ञ श्री एल.डी. पंडित ने भी संबोधित किया। संगोष्ठी में रा%य मंत्री श्री सारंग ने अपेक्स बैंक की वेबसाइट का नये स्वरूप में लोकार्पण किया। उन्होंने राज्य सहकारी संघ द्वारा वसूली प्रबंध प्रशिक्षण मार्गदर्शिका की दो पुस्तकों का विमोचन भी किया। उप सचिव सहकारिता एवं प्रशासक अपेक्स बैंक श्री प्रकाश खरे ने संगोष्ठी के उद्देश्य के बारे में बताया। अपेक्स बैंक के प्रभारी प्रबंध संचालक श्री प्रदीप नीखरा ने आभार माना।

वित्तीय पत्रक

1.	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल	5 से 9
2.	सद्गुरु नागरिक सहकारी बैंक मर्या., भोपाल	10 से 14
3.	सीहोर नागरिक सहकारी बैंक लि., सीहोर	15 से 20
4.	कृष्णा मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., भोपाल	21 से 23

63वाँ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह

शुभारम्भ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल में

शिक्षा प्रशिक्षण के जरिये सहकारिता का सशक्तीकरण

भोपाल। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मुख्यालय में 63वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रतन यादव, अध्यक्ष, म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ थे। इस अवसर पर अपर आयुक्त सहकारिता द्वय श्री जे.पी. गुप्ता, श्री अजय दीक्षित तथा श्री प्रदीप नीखरा, प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, श्री जीवन मैथिल, अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक भोपाल उपस्थित थे।

इस अवसर पर दीप प्रज्जवलन अतिथियों द्वारा किया गया गया। तत्पश्चात सहकारी गीत का गायन अतिथियों तथा प्रतिभागियों द्वारा किया गया एवं अतिथियों ने दीप–प्रज्वलन किया और वंदेमातरम गाया। इसके बाद शिक्षा प्रशिक्षण के जरिये सहकारिता का सशक्तीकरण विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गयी। राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने स्वागत भाषण तथा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। विषय विशेषज्ञ के रूप में सेवा निवृत्त अपर आयुक्त द्वय श्री पी.डी. मिश्र तथा श्री एस.के. मिश्र ने विषय पर प्रकाश डाला।

मुख्य अतिथि श्री रतन यादव ने इस अवसर पर सहकारिता के महत्व को दर्शित करते हुए संस्थाओं के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण दिलाये जाने की अपेक्षा की

श्री जीवन मैथिल ने अपेक्षा की कि सहकारी सप्ताह में हुए विचार मंथन से उभरे निष्कर्षो पर बाद में भी विचार हो ताकि सहकारिता की सकारात्मक छवि जन–जन तक पहुंच सके।

श्री अजय दीक्षित ने कहा कि सहकारिता एक जीवन शैली है। शिक्षा ज्ञान है तथा प्रशिक्षण कार्यरूप में परिणिति की ताकत है। प्रशिक्षण को जीवन शैली कर ताकत बनाये । स्व का भाव जागृत करें। उन्होंने सहकारी संघों की शिक्षा प्रशिक्षण की भूमिका को इंगित करते हुए सहकारी संस्थाओं से प्रशिक्षण की आवश्यकता बताने की अपेक्षा की।

श्री पी.डी. मिश्रा ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान का विकास होता है तथा प्रशिक्षण से काम की गति बढ़ती है। गीता में योग को कर्म की कुशलता के रूप में परिभाषित किया गया है। यही कौशल उन्नयन आज की आवश्यकता है।

श्री सुशील मिश्रा ने कहा कि सहकारिता भविष्य की तकनीक का आज ही आंकलन कर अपने को उसके अनुरूप ढाले। सहकारी पदाधिकारी तथा सदस्यों को जागृत किया जाय। प्रशिक्षण स्वस्फूर्त प्रक्रिया हो। कार्यक्रम में सहकारी संस्थाओं के सदस्य तथा अधिकारी गण उपस्थित थे। अंत में आभार व्याख्याता श्री ए.के. जोशी ने व्यक्त किया।

विचार–मंथन के उभरे बिंदु

- सहकारी प्रशिक्षण सतत रूप से हो।
- सहकारिता की सकारात्मक छवी जन–जन तक पहुंचायी जाय।
- सहकारी संस्थाये स्वयं भी अपनी प्रशिक्षण की आवश्यकता सहकारी संघों की बताये।
- सदस्यों में संस्था के प्रति स्व का भाव जाग्रत हो।
- सहकारिता में कौशल उन्नयन एक आवश्यकता हैं
- प्रशिक्षण स्व स्फूर्त प्रक्रिया बने।
- सहकारी संस्थाये नयी–सूचना प्रोद्योगिकी को अपनाने के लिए अपने को तैयार करें।

सहकारी प्रबंध संस्थान में

सहकारी के माध्यम से कौशल उन्नयन एवं उद्यमिता विकास

भोपाल। सहकारी सप्ताह का दूसरा दिन 15 नवम्बर को सहकारी प्रबंध संस्थान में सहकारिता के माध्यम से कौशल उन्नयन एवं उद्यमिता विकास के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रतन यादव अध्यक्ष म.प्र.राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ थे। इस अवसर पर अपर आयुक्त सहकारिता श्री अजय दीक्षित सहकारी विशेषज्ञ श्री एल.डी. पंडित श्रीमती आशा सेंगर उपस्थित थी।

सर्व प्रथम अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया। स्वागत उद्बोधन प्रभारी निदेशक डॉ सुरेन्द्र कुमार ने देते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।

अपर आयुक्त अजय दीक्षित ने कहा कि सहकारिता में समानता के आधार पर एकत्रित होते है कितने भी अंश हो लेकिन एक मत देने का अधिकार होता है। सदस्य ही संस्था के मालिक होते है। आमसभा में उपस्थित रहकर वे अपनी अपेक्षा तथा आवश्यकता व्यक्त कर सकते है। श्री दीक्षित ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान, प्रशिक्षण में अभ्यास का अवसर और कौशल से कार्य को सफलता पूर्वक किया जा सकता है। कौशल में शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होने कौशल विकास से राष्ट्र विकास में भागीदारी तथा आजीविका निर्वहन का साधन निरूपित किया।

श्री एल.डी.पंडित ने अपने संस्मरणों से कर्तव्य निष्ठा का इजहार किया तथा देश की सफल सहकारी संस्थाएं इफको व कृभको तथा प्रदेश के दुग्ध संघ का जिक्र किया। विकास के लिए तकनीकि ज्ञान तथा कर्तव्य निष्ठा को जरूरी बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि– 1.सहकारी संस्थाओं का मॉ का दर्जा दे तथा 2. कौशल उन्नयन के लिये नए लोगो की भर्ती तथा कार्य का प्रशिक्षण देने की आशा की।

श्रीमती आशा सेंगर ने आशा व्यक्त की कि समाज के वंचित वर्ग को सहकारिता के माध्यम से लाभान्वित किया जाय।

डॉ. सुरेन्द्र कुमार ने रोजगार मूलक प्रशिक्षण से कौशल उन्नयन होता है इसके लिए उपभोक्ता सहकारिता में रिटेल, आवास में मटेरियल, दुग्ध में टेस्टिंग, विपणन में कृषि क्लीनिक तथा ऋण प्रदाता संस्थाओं में माईक्रो फाइनेंस/प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण दिया जाय।

विषय विशेषज्ञ श्री बड़ेगावकर ने छोटे कृषि यंत्रों के निर्माण तथा किराये पर उपलब्ध कराने तथा कृषि कचरे से ऊर्जा निर्माण पर जोर दिया। श्री विनय वर्मा ने शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की।

श्री रतन यादव ने अपने उद्बोधन में विभिन्न सहकारी संस्थाओं में उनसे संबंधित तकनीकि ज्ञान का प्रशिक्षण देने तथा प्रशिक्षण संस्थाओं से एक–एक गांव गोद लेने की अपेक्षा की। कार्यक्रम का संचालन मेघा सातारकर ने तथा आभार डॉ. सुरेन्द्र कुमार ने व्यक्त किया।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. सहकारिता में नई कार्य संस्कृति का विकास
2. छोटे कृषि यंत्र निर्माण किये जाये।
3. सदस्यों को आमसभा में आने के लिए प्रेरित करे।
4. कौशल विकास के तहत–

अ. उपभोक्ता संस्था रिटेल/सेल्स

ब. आवास संस्थाएं: बिल्डिंग मटेरियल

स. दुग्ध संस्थाएं: दुग्ध टेस्टिंग

द. विपण संस्थाएं: कृषि क्लीनिक/प्रोसेसिंग

ई. ऋण प्रदाता संस्थाएं: माईक्रो फाईनेस का प्रशिक्षण दिया जाय।

भोपाल को–आपरेटिव्ह सेन्ट्रल बैंक भोपाल तथा एकीकृत सहकारी विकास परियोजना भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में

सहकारिता के माध्यम से वित्तीय समावेशन

भोपाल। सहकारिता सप्ताह का तीसरा दिन सहकारिता के माध्यम से वित्तीय समावेशन के रूप में भोपाल को–आपरेटिव्ह सेन्ट्रल बैंक भोपाल तथा एकीकृत सहकारी विकास परियोजना भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 16.11.2016 को भोपाल को– आपरेटिव्ह सेन्ट्रल बैंक के सभा कक्ष में मनाया गया। इस अवसर पर एक संगोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें श्री रतन यादव, अध्यक्ष उपभोक्ता संघ, श्री जीवन मैथिल, अध्यक्ष भोपाल को– आपरेटिव्ह सेन्ट्रल बैंक, श्री प्रदीप नीखरा, प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी संघ, श्री के.के. द्विवेदी, प्रबंध संचालक, भोपाल को– आपरेटिव्ह सेन्ट्रल बैंक तथा विषय विशेषज्ञ के रूप में श्रीमती सोनमनी चौधरी तथा अनिल वर्मा उपस्थित थे।

स्वागत भाषण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने कहा कि सहकारिता आर्थिक समृद्धि के साथ सेवा का माध्यम हैं। वर्तमान मे चुनौतियां है लेकिन अत्मनिर्भर सहकारी संस्थाएं इनका मुकाबला आसानी से कर सकती है। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित वर्ग को सहकारी बैंकों से जोड़ा जाय। सहकारिता के माध्यम से वित्तीय समावेश की अनन्त संभावना है।

श्रीमती सोनमती चौधरी के सिडबी के म.प्र मे चल रहे प्रोजेक्ट की जानकारी दी। वित्तीय समावेशन से सबका विकास संभव है। आज के परिवेश मे स्मार्ट ट्रेनिंग आडियो, वीडियो के साथ डिजिटल की जरूरत है।

एक्सिस असिस्ट के श्री अनिल ने किसानों की समस्याओं के निदान के लिये बैंकिंग क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी उन तक पहुंचाने की आवश्यकता प्रतिपादित की जानकारी दी।

श्री रतन यादव ने कहा कि सहकारिता से वित्तीय समावेशन संभव है क्योंकि सहकारिता की पहुंच सुदूर ग्रामीण अंचलों तक है इसके लिये जन जागृति की आवश्यक है। श्री जीवन मैथिल ने अपने संबोधन में कहा कि सहकारिता शोषण मुक्ति के लिए वंचित वर्ग के लोगों की ताकत है। इसके सहारे वित्तीय समावेशन के जरिये विकास संभव है।

श्री के.के. द्विवेदी भोपाल को– आपरेटिव्ह सेन्ट्रल बैंक के प्रबंध संचालक ने कहा कि वित्तीय समावेशन का मतलब वित्तीय साक्षरता है, बैंकिंग को जाने कि पैसा कैसे जमा करें अगर नहीं हो तो आवश्यकता की पूर्ती के लिये ऋण कैसे प्राप्त करें। कार्यक्रम में पैक्स संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। संचालन श्री ए.के. जोशी व्याख्याता राज्य सहकारी संघ ने किया।

मुख्य बातें

- हित ग्राहियों की आवश्यकता को जाने उनके अनुरूप बैंक योजनाएं बनाये।
- नयी सूचाना प्रौद्योगिकी अंगीकार करने हेतु स्मार्ट ट्रेनिंग की व्यवस्था।
- वंचित वर्ग के अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ा जाय। जन जागृति हो।

म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ में

सहकारिता के माध्यम से प्रमुख शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

भोपाल। सहकारी सप्ताह का चौथा दिन म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ में सहकारिता के माध्यम से प्रमुख शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन के रूप में दिनांक 17 नवम्बर को मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विपणन संघ के उपाध्यक्ष श्री मेघसिंह गुर्जर ने की। इस मौके पर उपाभोक्ता संघ के अध्यक्ष श्री रतन यादव, भोपाल को–आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री जीवन मैथिल, विपणन संघ के प्रबंध संचालक श्री बी.एम.शर्मा, सचिव श्री अरूण माथुर, राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन, मत्स्य महासंघ के प्रबंध संचालक श्री एस.के. जोशी, सहकारी प्रबंध संस्थान के निदेशक श्री ए.के. अस्थाना तथा अपेक्स बैंक के ओ.एस.डी. श्री महेन्द्र दीक्षित उपस्थित थे।

सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात श्री अरूण माथुर, सचिव, विपणन संघ ने कार्यक्रम की रूपरेखा तथा स्वागत उद्बोधन दिया।

कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मेघसिंह गुर्जर ने कहा कि सहकारिता एक विभाग नहीं है यह एक जन आंदोलन है तथा सर्वांगीण विकास का माध्यम है। सहकारी कर्मी अपने कर्तव्य मात्र ड्यूटी नहीं समझे बल्कि अपने कर्तव्य निर्वहन एक सेवा के रूप में करें। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं के कार्य संचालन के लिये प्रबंधन जितना जवाबदेह है उतना ही कर्मचारी भी। श्री रतन यादव अध्यक्ष, उपभोक्ता संघ ने सहकारी संस्थाओं द्वारा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। विपणन संघ के प्रबंध संचालक श्री बी.एम. शर्मा ने सहकारिता को एक संयुक्त परिवार के रूप में निरूपित किया। तथा कहा कि सहकारिता में 'मै' के स्थान पर 'हम' शब्द को अंगीकार किया जाय तथा संस्थाओं में कर्मचारी शासकीय तंत्र की तरह कार्य न करें बल्कि इन्हें अपना समझकर कार्य करेंगे तो संस्थाओं का विकास होगा। श्री शर्मा ने कहा कि संस्थायें सरकार के उपर निर्भरता को त्यागे। अपनी पेठ करें, तथा कर्मचारी संस्थाओं के बारे में चिंतन मनन कर सुझाव दे।

मत्स्य महासंघ के प्रबंध संचालक श्री एस.के. जोशी ने मत्स्य महासंघ की उपलब्धियों और योजनाओं पर प्रकाश डाला तथा सहकारी संस्थाओं के उपनियमों में दर्शित उद्देश्य आज के परिवेश में प्रासंगिक नहीं रह गये है इस पर मंथन कर पुनर्विचार किया जाय। तथा संस्थाओं की मार्केटिंग व्यवस्था व्यवस्थित हो। बीज संघ के सलाहकार श्री एस.एस. भटनागर ने बीज संघ की स्थापना तथा वर्तमान के संचालित योजनाओं तथा उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

सहकारी प्रबंध संस्थान के निदेशक श्री ए.के. अस्थाना ने कहा कि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिले तथा उपभोक्ता को सही दाम पर सामग्री की उपलब्धता के उद्देश्य से गोदामों में वैज्ञानिक तरीके से भंडारण हो तथा प्रोसेसिंग की जाय एवं गुजराज एवं पंजाब की तरह वाटर यूजर एसोशियेशन बनाकर इसे सहकारिता के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाय। साथ ही उन्होंने मिट्टी की उर्वरक क्षमता विकास के लिए पहल की जाने की अपेक्षा की।

अपेक्स बैंक के ओ.एस.डी. श्री महेन्द्र दीक्षित ने बदलते परिवेश में सहकारिता को बदलने की अपेक्षा की तथा कहा कि उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को जाने उनकी मंशा के अनुरूप नया उत्पाद लाये। इससे सहकारी संस्थायें आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी आज योजनाओं के क्रियान्यन में मार्जिन बढ़ाने सदस्यों की सक्रिय भागीदारी तथा सहकारिता के प्रचार–प्रसार और मार्केटिंग की आवश्यकता है।

विपणन संघ के श्री एम.के. पाठक ने अग्रिम भंडारण योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विपणन संघ इसके लिये नोडल ऐजेंसी है। संघ ने शत–प्रतिशत से अधिक इसकी लक्ष्यपूर्ति की है। अंत में आभार श्री मनीष जोशी ने व्यक्त किया।

उभरे बिंदु

- सहकारी संस्थाओं के पदस्थ/पदाधिकारी एवं कर्मचारियों में 'मैं' के स्थान पर 'हम' भाव जाग्रत करें।
- सहकारी संस्था के कर्मी शासकीय तंत्र की तरह कार्य न करें।
- सहकारी संस्थाओं के उपनियमों में उद्देश्यों की मीमांसा हो।
- सहकारिता में प्रचार–प्रसार व मार्केटिंग हो।
- वैज्ञानिक भंडारण तथा प्रोसेसिंग पर जोर हो ।
- सिंचाई योजना के तहत सहकारिता के माध्यम से वाटर यूजन एसोसियेशन का गठन हो।

कृपया ध्यान दें

बैंकों के वित्तीय पत्रक प्रकाशन की समय-सीमा 31 दिसम्बर, 2016 है, समय सीमा को दृष्टिगत रखते हुए, सहकारी बैंकों से अपेक्षा है कि अपने वित्तीय पत्रक प्रकाशन हेतु शीघ्र साफ्ट कापी **ई-मेल rajyasanghbpl@yahoo.co.in से एवं हार्ड कापी म.प्र. राज्य सहकारी संघ, ई-8/77, शाहपुरा, भोपाल-462039, मध्यप्रदेश के पते पर शीघ्र भेजें।** इस हेतु राज्य संघ के पत्र का अवलोकन कर लें।

जिला स्तर पर वसूली प्रबंधन प्रशिक्षण

जिला सहकारी केन्द्रीय बैक, जबलपुर

जबलपुर। सहकारी बैंकों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण में सहकारिता विभाग और सहकारी बैंकों की सक्रियता आवश्यक है इसके लिये संबंधित स्टाफ के लिये सार्थक प्रशिक्षण आवश्यक है। ये विचार सहकारिता विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री पी. एस. तिवारी ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैक के सभागार में आयोजित वसूली प्रबंधन पर प्रशिक्षण शिविर में व्यक्त किये।

मध्यप्रदेश के सहकारिता आयुक्त श्री कवीन्द्र कियावत के निर्देशानुसार प्रादेशिक स्तर पर वसूली प्रबंधन पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में उप आयुक्त सहकारिता श्री ओ. पी. गुप्ता, सहायक आयुक्त सहकारिता श्री जी. पी. प्रजापति, सहायक आयुक्त सहकारिता श्रीमती आरती पटेल व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक श्री पी. के. परिहार ने भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को वसूली प्रबंधन में सहायक बताया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ की वसूली प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण के दौरान वसूली अधिकारी डॉ. प्रशांत कौरव एडवोकेट व श्री एस. डी. राव ने व्याख्यान दिये।

प्रशिक्षण में वसूली की वैधानिक प्रक्रिया एवं व्यवहार का व्याख्यान श्री शशिकांत चतुर्वेदी व्याख्याता, निरन्जन कसारा व्याख्याता एवं प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक द्वारा दिया गया। बैंक के मुख्यकार्यपालन अधिकारी पी.के. परिहार ने वसूली प्रभावी करने हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, होशंगाबाद

होशंगाबाद। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, होशंगाबाद के कार्यक्षेत्र के होशंगाबाद एवं हरदा जिले के सहकारिता विभाग व सहकारी बैंक के अधिकारियों हेतु आयुक्त सहकारिता भोपाल के निर्देशानुसार म.प्र. राज्य सहकारी संघ भोपाल के कार्यक्रम अनुसार दिनांक 23.11.2016 को बैंक के सभागृह में एक दिवसीय वसूली प्रबंध प्रशिक्षण पर कार्यशाला का आयोजन सम्पन्न हुआ।

कार्यशाला का शुभारम्भ मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलन से संयुक्त आयुक्त, सहकारिता श्री पी.के. सिद्धार्थ, उप आयुक्त श्री जी.एस.डेहरिया व सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कमल मकाश्रे द्वारा किया गया।

कार्यशाला में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक व केन्द्र इंदौर के व्याख्याता श्री निरंजन कुमार कसारा ने विषय अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया। इस अवसर पर जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री एस.के. उपाध्याय ने सक्रिय भूमिका अदा की। कार्यशाला में सहकारिता विभाग के अंकेक्षक, निरीक्षक, बैंक के पर्यवेक्षक व उपस्थित हुए। कुल 60 प्रशिक्षार्थियों ने भागीदारी की। कार्यशाला को नाबार्ड के रिसोर्स पर्सन ने भी संबोधित किया।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रीवा

रीवा। दिनांक 23.11.2016 को रीवा में जिला बैंकों के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राज्य सहकारी संघ के श्री जी.पी. मांझी, व्याख्याता एवं श्री वी.के. बर्वे व्याख्याता द्वारा वसूली कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों को विधिवत वसूली प्रक्रिया के सुचारू संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के मुख्य विषय थे–सहकारी संस्थाओं द्वारा डिक्री प्राप्त करने की प्रारंभिक तैयारी, दावा लगाने का तरीकादावा प्राप्त होने पर सहायक पंजीयक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, सूचना पत्र की तालीमी, सहायक पंजीयक द्वारा निर्णय, प्रभार परिवर्तन के बाद निष्पादन की कार्यवाही, बिक्री अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, चल सम्पत्ति जिसमे खेत में खड़ी फसल भी शामिल है, की कुर्की एवं विक्रय की कार्यवही, फसल की कुर्की की प्रक्रिया, चल सम्पत्ति के विक्रय की व्यवस्था, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का विक्रय, अन्य चल सम्पत्तियों की कुर्की, अचल सम्पत्ति के द्वारा ऋण वसूलीदस एकड़ से कम की भूमि नीलाम न करने संबंधी प्रवधान।

प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ श्री शिवम मिश्रा, उपायुक्त , सहकारिता जिला रीवा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिले के अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित हुये श्री डी.के. सागर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रीवा ने प्रशिक्षण की उपयोगिता का महत्व बताते हुये विश्वास जताया कि ऐसे प्रशिक्षणों से कर्मचारियों का कौशल व व्यवहार दोनो ही अनुकूल होगा जिससे संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने में काफी मदद मिलेगी।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, गुना

गुना। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं/सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों के अंतर्गत संस्थाओ/बैंकों की वसूली में तेजी लाने के लिये सघन प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा वसूली प्रशिक्षण के दो पाठ्यक्रम तैयार किये गये हैं। जिन पर पूरे प्रदेश मे जिलेवार एवं विकासखंडवार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

दिनांक 22.11.2016 को जिला बैंक के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षकों द्वारा वसूली कार्य से जुड़े कर्मचारियों को विधिवत वसूली प्रक्रिया के सुचारू संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के मुख्य विषय ऋण वसूली का महत्व, कालातीत/एनपीए ऋण का संस्था की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव, वसूली की वैद्यानिक कार्यवाही, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 64, 68, 84, 85 के प्रावधान, सहकारी संस्थाओं द्वारा डिक्री प्राप्त करने की प्रारंभिक तैयारी, डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही व वसूली अधिकारी की शक्तियों पर चर्चायें की गई।

प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ उपायुक्त सहकारिता श्री राजेश क्षत्री द्वारा मां सरस्वती की पूजन कर किया गया। कार्यक्रम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आलोक जैन ने वसूली पर अपने विचार रखे। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के श्री के.एल. राठौर , श्री वीरेन्द्र मिश्रा ने प्रशिक्षण की उपयोगिता का महत्व बताते हुए विश्वास जताया कि ऐसे प्रशिक्षणों से कर्मचारियों का कौशल व व्यवहार दोनों की अनुकूल होगा जिससे संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने में काफी मदद मिलेगी। प्रशिक्षण में विधि विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त सहायक रजिस्ट्रार एवं एडव्होकेट श्री महेश गौरे ने वसूली की विस्तृत की जानकारी दी।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सीधी

सीधी।दिनांक 25.11.2016 को सीधी के जिला बैंकों के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राज्य सहकारी संघ के श्री जी.पी. मांझी, व्याख्याता एवं श्री वी.के. बर्वे व्याख्याता द्वारा वसूली कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों को विधिवत वसूली प्रक्रिया के सुचारू संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के मुख्य विषय – सहकारी संस्थाओं द्वारा डिक्री प्राप्त करने की प्रारंभिक तैयारी, दावा लगाने का तरीका, दावा प्राप्त हो पर निर्णय, प्रभार परिवर्तन के बाद निष्पादन की कार्यवाही, बिक्री अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, फसल की कुर्की की प्रक्रिया, चल सम्पत्ति के विक्रय की व्यवस्था, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का विक्रय, अन्य चल सम्पत्तियों की कुर्की, अचल सम्पत्ति के द्वारा ऋण वसूली, दस एकड़ से कम की भूमि नीलामी न करने संबंधी प्रावधान, वसूली का महत्व, कालातीत होने के कारण वसूली न होने के कारण एन.पी.ए. कम करने के उपाय, वसूली प्रभावशील बनाने के उपाय।

प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ श्री जी.पी. सोनकुसरे एवं श्री एच.पी. शर्मा, उपायुक्त, सहकारिता सीधी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिले के अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित हुये श्री ए.पी. पाण्डेय, प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीधी ने प्रशिक्षण की उपयोगिता का महत्व बताते हुये विश्वास जताया कि ऐसे प्रशिक्षणों से कर्मचारियों का कौशल व व्यवहार दोनों ही अनुकूल होगा जिससे संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने में काफी मदद मिलेगी।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, पन्ना

पन्ना। दिनांक 22.11.2016 को पन्ना जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना के अंतर्गत जिला बैंक के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षकों द्वारा शाखा प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों, सहकारी निरीक्षकों एवं बैंक के कर्मचारियों को विधिवत वसूली प्रक्रिया के सुचारू संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के मुख्य विषय थे– सहकारी संस्थाओं द्वारा डिक्री प्राप्त करने की तैयारी, दावा लगाने का तरीका, दावा प्राप्त हो पर सहायक पंजीयक द्वारा कार्यवही, सूचना तामीली, आदेश पारित करना, प्रभार परिवर्तन, निष्पादन कार्यवाही के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ श्री अमित श्रीवास्तव, प्र. महाप्रबंधक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिले के अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। श्री उदयवीर सिंह राठौर वसूली अधिकारी ने प्रशिक्षण की उपयोगिता का महत्व बताते हुए विश्वास जताया कि ऐसे प्रशिक्षणों से कर्मचारियों का कौशल व व्यवहार दोनों ही अनुकूल होगा जिससे संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने में काफी मदद मिलेगी। श्री एस.के. चतुर्वेदी व्याख्याता एवं श्री एस.के. गौतम, जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सतना

सतना। दिनांक 24.11.2016 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षकों द्वारा वसूली कार्य से जुेड़ कर्मचारियों को विधिवत वसूली प्रक्रिया के सुचारू संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के मुख्य विषय में धारा–84 अंतर्गत वसूली दावा लगाने का तरीका, डिक्री प्राप्त करने की तैयारी, सहायक पंजीयक द्वारा कार्यवाही सूचना तामीली, सहायक पंजीयक का निर्णय, धारा–85 में निष्पादन कार्यवाही, वसूली अधिकारी की शक्तियां एवं बिक्री अधिकारी द्वारा कार्यवाही पर विस्तार से जानकारी दी गयी।

प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ श्री रत्नाकर चतुर्वेदी, अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सतना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिले के गणमान्य अधिकारी एवं पदाधिकारी उपास्थित रहे। श्री आर.पी. पाल, उप पंजीयक, सहकारिता, श्री एस.एम. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक, श्री रामेश्वर तिवारी, डायरेक्टर बैंक श्री एस.सी. गुप्ता, विपणन अधिकारी एवं श्री एस.के. पटेरिया आंतरिक अंकेक्षक की गरिमामयी उपस्थिति रही।

श्री आर.पी. पाल, उप पंजीयक, सतना ने प्रशिक्षण की उपयोगिता का महत्व बताते हुये विश्वास जताया कि ऐसे प्रशिक्षणों से कर्मचारियों का कौशल व व्यवहार दोनो ही अनुकूल होगा जिससे संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने में काफी मदद मिलेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षक द्वय एस.के. चतुर्वेदी एवं शिवकुमार गौतम ने दक्षता पूर्वक विषय वस्तु की जानकारी दी। प्रशिक्षार्थी के रूप में शाखा प्रबंधक, पर्यवेक्षक, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, उप अंकेक्षक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षको ने भाग लिया।

प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ श्री अमित श्रीवास्तव, प्र. महाप्रबंधक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिले के अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। श्री उदयवीर सिंह राठौर वसूली अधिकारी ने प्रशिक्षण की उपयोगिता का महत्व बताते हुए विश्वास जताया कि ऐसे प्रशिक्षणों से कर्मचारियों का कौशल व व्यवहार दोनों ही अनुकूल होगा जिससे संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने में काफी मदद मिलेगी। श्री एस.के. चतुर्वेदी व्याख्याता एवं श्री एस.के. गौतम, जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

कृष्णा मर्केन्टाईल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भोपाल

स्थिति विवरण पत्रक 31.03.2016

ओपनिंग बेलेन्स 01/04/2015	पूंजी एवं देनदारियां	राशि रू.(केडिट)	क्लोजिंग बेलेन्स 31/03/2016
	1.अंशपूंजी		8569830.00
	अधिकृत अंशपूंजी		
	(1,00,00,000)		
8226255.00	भुगतानयोग्य अंशपूंजी	8559655.00	
9925.00	नाममात्र सदस्यता फीस	10175.00	
	2.रक्षित एवं अन्य निधियां		35791636.64
12819122.81	रक्षित निधि	13663122.81	
2509464.00	भवन निधि	4024872.67	
6447744.56	बी.बी.डी. रिजर्व फण्ड (एन.पी.ए.)	7400369.56	
3168435.00	प्रावधान स्टेण्र्डड ऐसेट्स	3474523.00	
2413960.00	प्रावधान सब–स्टेण्र्डड ऐसेट्स	2921464.00	
2501976.77	निवेश ह्रास निधि	2501976.77	
900139.00	ओव्हर ड्यु ब्याज रक्षित	1183469.00	
621838.83	डिविडेन्ड इक्वीलाइजेशन फण्ड	621838.83	
	3.अमानते एवं अन्य खातें		71347487.74
19279937.72	चालू खातें	17903382.61	
567804.65	सन्ड्री डिपाजिट	686762.65	
53048.96	केडिट बेलेन्स इन सी.सी.लिमिट	10108.69	
7594.50	केडिट बेलेन्स इन ओ.डी. विरूद्ध सिक्युरिटी	0.00	
3760345.54	सेविंग्स सोसायटी	3487407.52	
60258246.00	बचत खाता	49259826.27	
	सावधि एवं अन्य जमा		100898722.9
2969407.00	मासिक आय योजना	2969407.00	
15428418.16	फिक्सड डिपाजिट	16493792.66	
72834805.80	डबल डिपाजिट	81435523.19	
0.00	मनी बेक फलेक्सी	0.00	
	अन्य सावधि जमा खाते		1230955.00
659982.00	दैनिक जमा	0.00	
1595290.00	कम्पलसरी जमा	511255.00	
543700.00	आर्वती जमा	719700.00	
	4. अन्य देनदारियां		1869166.00
	टी.डी.एस खाता		
	सर्विस टैक्स		
0.00	ई.डी.पी. ऑडिट फिस	0.00	
1476873.00	डिविडेन्ट पेएबल	1869166.00	
	5. बैंक ग्यारंटी (कान्ट्रा)		2100000.00
2600000.00	बैंक ग्यारंटी (कान्ट्रा)	2100000.00	
	6. बिल फार कलेक्शन		0.00
0.00	क्लीयरिंग चेक रिसिव	0.00	
	7. कान्टीन्जेंट देनदारियां		0
1789931.00	दैनिक जमा योजना पार्टी क्लेम खाते	0.00	

ओपनिंग बेलेन्स 01/04/2015	सम्पत्ति एवं लेनदारियां	रकम (डेबिट)	क्लोजिंग बेलेन्स 31/03/2016
	1. नगदी सिलक		4595583.00
4773805.00	नगदी सिलक	4595583.00	
	2. बैंको के चालू खातों के बेलेन्स		47158150.25
1211993.34	भारतीय रिजर्व बैंक	5375228.00	
5637225.27	आई.डी.बी.आई. बैंक	18595168.43	
25353.00	भारतीय स्टेट बैंक एम.पी.नगर शाखा	25353.00	
79332.00	केनरा बैंक एम.पी.नगर शाखा	657847.00	
11854045.73	एक्सीस बैंक (न्यु)	12013675.83	
11153868.20	आई.डी.बी.आई. बैंक सी.टी.एस. क्लीयरिंग	1939075.00	
1630937.72	एक्सीस बैंक आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.	8122464.99	
5000.00	पंजीब नेशनल बैंक हबीबगंज शाखा	429338.00	
	3. निवेश		41000000.00
	(अ) अन्य बैंकों में फिक्स्ड डिपाजिट		
27081319.00	एफ.डी.आर. आई.डी.बी.आई. बैंक	10000000.00	
5000000.00	एफ.डी.आर. केनरा बैंक	7000000.00	
5000000.00	एफ.डी.आर. पंजाब नेशनल बैंक	7000000.00	
	एफ.डी.आर. युको बैंक	10000000.00	
	एफ.डी.आर.युनियन बैंक ऑफ इंडिया	7000000.00	
	(ब) अन्य बैंकों के शेयर खरीदे		1500000.00
1500000.00	अंश पुंजी भोपाल को–ऑप.सेन्ट्रल बैंक	1500000.00	
	(स) आई.डी.बी.आई. सब–जन.लेजर खाते (शास. प्रतिभूति)		49871000.00
59831000.00	आई.डी.बी.आई. सब–जन.लेजर खाते	49871000.00	
	4.बैंक ग्यारंटी इश्यु		2100000.00
2600000.00	बैंक ग्यारंटी	2100000.00	
	5. आकस्मिक आस्तियॉ		
1789931.00	दैनिक जमा योजना पार्टी क्लेम खाते	0.00	
	6. ऋण तथा अग्रिम		87155460.09
531558.00	पर्सनल लोन	767077.00	
25021.00	उपभोक्ता ऋण	25021.00	
153587.00	एफ.डी.आर. के विरूद्ध ऋण	161066.00	
27762.00	अधिविकर्ष ऋण	27762.00	
6050856.00	मध्यम अवधि ऋण	5727126.00	
30402316.07	नगद साख सीमा	28638264.65	
10401593.00	वाहन ऋण	8669348.00	
19225481.00	गृह ऋण	14708152.00	
742030.62	प्रतिभूति विरूद्ध अधिविकर्ष ऋण	722931.85	
13210731.00	संपत्ति के विरूद्ध ऋण	8952834.00	
128122.00	दैनिक जमा के विरूद्ध ऋण	0.00	
15831793.59	संपत्ति के विरूद्ध अधिविकर्ष ऋण	18755877.59	

ओपनिंग बेलेन्स 01/04/2015	पूंजी एवं देनदारियां	राशि रू.(क्रेडिट)	क्लोजिंग बेलेन्स 31/03/2016
	8. अन्य मांग देनदारियां		6201303.70
29862.00	ऑडिट फीस फॉर रजिस्ट्रार	26912.00	
267201.96	क्लीयरिंग सस्पेन्स	235168.96	
2000.00	सहकारी संघ चन्दा देय	0.00	
2560113.17	पेमेन्ट आर्डर	1636459.47	
0.00	प्रोफेशनल टैक्स	0.00	
235000.00	मिसलेनियस प्रावधान	235000.00	
173703.27	टैक्स प्रावधान	173703.27	
	प्राविजन फार दैनिक जमा खात	1666130.00	
	ऐक्सिस बैंक डी.डी.पेएबल	1227930.00	
	एडवांस इन्कम टैक्स	1000000.00	
	9.देने योग्य ब्याज (सावधि जमा एवं अन्य जमाओ का प्रावधान		4842332.16
2780055.17	एक्यु. ईन्ट्रेस्ट पेयेबल अकाउन्ट	2968891.16	
1873441.00	सावधि जमाओं पर भुगतान योग्य ब्याज	1873441.00	
	10. शुद्ध लाभ खातें		6175446.83
	आय एवं व्यय		
1110929.88	शुद्ध लाभ –2012–2013	1110929.88	
3858201.68	शुद्ध लाभ –2013–2014	1409805.68	
3374685.59	शुद्ध लाभ –2014–2015	840733.59	
	शुद्ध लाभ –2015–2016	2765977.68	
	बिक्री की गई अनुपयोगी सामग्री	48000.00	
239709439.02	**Total**	**239026880.92**	**239026880.92**

ओपनिंग बेलेन्स 01/04/2015	सम्पत्ति एवं लेनदारियां	रकम (डेबिट)	क्लोजिंग बेलेन्स 31/03/2016
	7. ऋणों पर ब्याज प्राप्य		1183469.00
16167.00	व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज प्राप्य	23115.00	
36363.00	उपभोक्ता ऋण पर ब्याज प्राप्य	44895.00	
26673.00	अधिविकर्ष ऋण पर ब्याज प्राप्य	27508.00	
43366.00	मध्यमअवधि ऋण पर ब्याज प्राप्य	55695.00	
681961.00	नगद साख सीमा पर ब्याज प्राप्य	865282.00	
65471.00	वाहन ऋण पर ब्याज प्राप्य	79020.00	
30138.00	संपत्ति के विरूद्ध अधिविकर्ष ऋण पर ब्याज प्राप्य	87954.00	
	8. साावधि जमा खातों पर ब्याज प्राप्य		2740009.00
281999.00	सावधि जमाओं पर ब्याज प्राप्य	1621767.00	
818956.89	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्राप्य	1118242.00	
	9. फर्नीचर एवं फिक्चर		840071.54
981763.54	डेड स्टॉक	840071.54	
	10. अन्य लेनदरिया		883138.04
337452.00	स्टेशनरी स्टॉक खाता	332128.00	
428613.00	परिशोधन शास. प्रतिभूतियो का	411895.00	
55854.05	इनपुट केडिट सर्विस टैक्स	139115.04	
239709439.02	कुल योग	**239026880.92**	**239026880.92**

सही/–
खरे पामेचा एण्ड कंपनी
चाटर्ड एकाउन्टेट

सही/–
पी.एन. गुप्ता
प्रबंधक

सही/–
संचालक

सही/–
एस.एस.यादव
अध्यक्ष

अग्रेसित

सही/-
सहायक पंजीयक (अंकेक्षण)
सहकारी संस्थाएँ
जिला भोपाल

निर्गमित किया

सही/-
संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ, भोपाल
भोपाल संभाग, भोपाल

कृष्णा मर्केन्टाईल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भोपाल

आय– व्यय पत्रक 31/03/2016

कुल व्यय	बेलेन्स 31/03/2016	कुल आय	बेलेन्स 31/03/2016
डाक तार व्यय	3260.00	लॉकर किराया	75747.68
बीमा व्यय	82936.00	सावधि जमाओं अन्य अन्य बैंकों पर ब्याज प्राप्य	5989843.00
भवन किराया एवं करं	1585346.00	ऋण प्रोसेसिंग फीस	50767.00
प्रायर पीरीयड खर्च	130.00	लाभांश प्राप्त भोपाल को–ऑप.से.बैंक	120000.00
पेनल्टी रिजर्व बैंक	500000.00	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्राप्य	5555690.67
बिजली शुल्क व्यय	144329.00	शेयर एन्ट्री एवं एप्लीकेशन फीस	32295.00
प्रोत्साहन खाता	20000.00	जनरल इंश्योरेन्स कमीशन	35218.00
अखबार एवं पत्रिकाओं पर व्यय	7978.00	क्लीयरिंग हाउस एवं माईकर चार्ज	9901.16
छपाई औरं स्टेशनरी व्यय	232376.00	दैनिक जमा अभिकर्ता कमीशन	207754.00
जलपान व्यय	182471.00	इंश्योरेन्स प्रिमियम	3187.00
विविध खर्चे	163756.50	आकस्मिक आय	1179105.53
वाहन भत्ता व्यय	88000.00	ऋणों से प्राप्त ब्याज	11203531.71
वार्षिक रखरखाव व्यय	27920.00		
लीगल फीस एडवोकेट व्यय	50000.00		
प्रचार –प्रसार पर व्यय	55347.00		
मरम्मत एवं नवीनीकरण	24668.00		
सतत अंकेक्षण फीस	172000.00		
एडवांस टैक्स कन्सलटेंसी फीस	40000.00		
केरम प्रतियोगिता एवं अन्य खर्च	48496.00		
डी.आई.सी.जी.सी.प्रिमियम चार्ज	190041.00		
बैक लाइसेंन्स नवीनीकरण फीस	22500.00		
वार्षिक आमसभा खर्च	109856.00		
टेलीफोन एवं टेलेक्स खर्च	62785.00		
सर्विस टैक्स इनपुट क्रेडिट	55808.00		
अपील और अन्य शुल्क	10000.00		
कन्वर्जन ऑडिट फीर्स	25000.00		
जमाओं पर ब्याज भुगतान			
ब्याज भुगतान बचत खातों पर	1859880.00		
ब्याज भुगतान एफ.डी.आर. खातों पर	9145021.90		
ब्याज अनिवार्य खातों पर भुगतान	5019.00		
वेतन एवं भत्ते	1971073.00		
प्रावधान			
अचल संपत्ति का मूल्यह्रास	290722.00		
परिशोधन शास. प्रतिभूतियो का	38718.00		
प्रावधान सब स्टेण्डर्ड ऐसेटस	507504.00		
प्रावधान स्टेण्डर्ड ऐसेटस	306088.00		
प्रावधान बिल्डींग फण्ड	1515408.67		
प्रावधान फार एडवान्स टैक्स 2015–16	1200000.00		
बी.बी.डी. रिजर्व फण्ड (एन.पी.ए.)	952625.00		
शुद्ध लाभ –2015–2016	2765977.68		
कुल योग	**24463040.75**	**कुल योग**	**24463040.75**

सही/–
खरे पामेचा एण्ड कंपनी
चाटर्ड एकाउन्टेट

सही/–
पी.एन. गुप्ता
प्रबंधक

सही/–
संचालक

सही/–
एस.एस.यादव
अध्यक्ष

कृष्णा मर्केन्टाईल को–ऑप. बैंक लि. भोपाल

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता, अंकेक्षक प्रमाणित करता हूँ कि मैने कृष्णा मर्केन्टाईल को–ऑप. बैंक लि. भोपाल पंजीयन कं. 05/97 दिनांक 24/7/97 का वर्ष 2015–2016 को अंकेक्षण पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित विधि से पूर्ण किया ।

बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र विधिवत सही है तथा बैंक में सुरक्षित है।

मेरे द्वारा कृष्णा मर्केन्टाईल को–ऑप. बैंक लि. भोपाल का दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त होने लेखा वर्ष का स्थिति विवरण पत्रक तथा लाभ हानि पत्रक की जांच संबंधित लेखाओं से की गई ।

अतः मेरे द्वारा प्रस्तुत संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं साथ में संलग्न आक्षेपों तथा स्थिति विवरण पत्रक पर अंकित टीप के अधीन है।

1. मेरे मत से बैंक का व्यवसाय आमतौर से अच्छी तरह से विधिवत तथा ईमानदारी से व उपनियमों व प्रावधानों के अनुसार तथा सहकारी विधान की प्रचलित धाराओं, उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, पंजीयक द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों एवं बैंकिंग रंग्यूलेशन एक्ट 1949 की आवश्यकता के अनुरूप किया गया है।
2. बैंक का स्थिति विवरण पत्रक पूर्णरूपसे स्पष्ट है एवं इसमें आवश्यक सभी जानकारीयां जो कि बैंक के व्यवहार एवं स्थिति को दर्शाते है। जो जानकारी बैंक की स्थिति को दर्शाते है का समावेश किया गया है । मुझे जो जानकारी बैंक की स्थिति के संबंध में बतलाई गई तथा जो जानकारी अधिकोष के लेखा पत्रों खातो में दर्शायी गई है वह सब इसमें परिलक्षित होती है।
3. मुझे अंकेक्षण के दौरान जिस जानकारी व स्पष्टीकरण की जब आवश्यकता हुई, समय--समय पर बैंक से प्राप्त हुई तथा मेरे संतोष के अनुसार है ।
4. अधिकोष के व्यवहार, जो मेरी जानकारी मे आये वे सभी अधिकोष की कार्यसीमा में किये गये है। अधिकोष के लाभ हानि प्रत्रक प्रस्तुत टीप के अनुसार पाये गये ।
5. अंकेक्षण हेतु जो भी पत्रक एंव लेखा बैंक से बुलाये गये या प्राप्त किये गये सभी पूर्ण एंव पर्याप्त है ।
6. मेरे मत से अधिकोष का स्थिति विवरण एवं लाभ–हानि पत्रक टीप नियमों के अनुरूप बानये गये है तथा हिसाब व खाते नियमों, उपनियमों का आवश्यकतानुसार रखे गये है ऐसे सभी रखे गये रजिस्टर व खाता बहिया, जिनके आधार पर पत्रक तैयार किय गये है की सूची बैंक में उपलब्ध है ।

अतः में अधिकोष को पंजीयक सहकारी समितियां, मध्यप्रदेश द्वारा प्रसारित निर्देशों में दी गई अंकेक्षण वर्गीकरण कसौटी पत्र के मानदंड के आधार पर मूल्यांकन करके वर्ष 2015–2016 के अंकेक्षण में बैंक को **'अ' वर्ग** में वर्गीकृत करता हूँ ।

स्थान – भोपाल
दिनांक / /2016

(खेरे पामेचा एण्ड कंपनी)
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
कृष्णा मर्केन्टाईल को. ऑप. बैंक लि.,भोपाल

Khare Pamecha & Co. Chartered Accountants

वर्ष 2015-16 के लिए अंकेक्षण वर्गीकरण 'अ' की पुष्टि की जाती है।
सही/-
संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ, भोपाल
भोपाल संभाग, भोपाल

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के जन-धन खाते खोलने के लिए बैंकों में विशेष काउंटर

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

गरीबों की बेहतरी और उनके हितों के संरक्षण में सदैव तत्पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को समय पर पूरा भुगतान सुनिश्चित करने हेतु जन-धन खाते खोलने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इससे लाखों कामगारों को लाभ होगा।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के प्रधानमंत्री जन-धन खाते खोलने के लिए बैंकों में 28 नवंबर से विशेष काउंटर

- खाते खोलने की कार्यवाही उसी दिन/रूपे कार्ड और पिन का भी तत्काल वितरण।
- उनके सभी भुगतान जाएंगे सीधे बैंक खाते में।
- बीड़ी श्रमिक हेण्डलूम कारीगर, निर्माण श्रमिक, खदान, उद्योग, मंडी, कृषि श्रमिक सहित सभी चिन्हित क्षेत्रों के श्रमिकों को वेतन/मजदूरी/ पारिश्रमिक का समय पर भुगतान।

असंगठित कामगारों के हक में बड़ा कदम

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी *आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2016*

D-79932/2016

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।